न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट खोह)

वाद संख्या :— 02/268/2013

<u>छोट्या बनाम रामलाल</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 21.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट खोह पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 24.10.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 296/0.07, 312/0.10, 317/0.44, 318/2757/0.02, 590/0.15, 596/0.07, 600/0.22, 630/0.01, 604/0.06, 628/0.06, 629/0.04, 654/0.05, 656/0.07, 981/0.10, 1320/0.11 है. वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ में वकील प्रार्थी एक पक्ष में सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 23.12.13 तक पाबन्द किया गया कि वो प्रार्थी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् जारी की गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। परन्तु प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत कर पालना नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2013 से प्रचलन में है जिसे लगभग 5 वर्ष का समय हो गया है एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 296/0.07, 312/0.10, 317/0.44, 318/2757/0.02, 590/0.15, 596/0.07, 600/0.22, 630/0.01, 604/0.06, 628/0.06, 629/0.04, 654/0.05, 656/0.07, 981/0.10, 1320/0.11 है. वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 24.10.2013 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 कैम्प कोर्ट खोह पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट खोह)